रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2006/वैशाख 15, 1928
No. 456] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2006/VAISAKHA 15, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

का.आ. 658 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री अभिमन्यु बेहरा, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, फूलबनी, उड़ीसा, द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री सुग्रीव सिंह, आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और, राष्ट्रपति द्वारा तारीख 30 मार्च, 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सुग्रीव सिंह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन निरर्हित हो गए हैं;

और, निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री सुग्रीव सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और यह कि वर्तमान याचिका इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री अभिमन्यु बेहरा, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य की उक्त याचिका चलने योग्य नहीं है।

2 मई, 2006 भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(6)/2006-वि.-II]

एन. के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 27

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश : संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री सुग्रीव सिंह, आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता।

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 30 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन सुग्रीव सिंह, आसीन लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है।

2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के खंड (क) के अधीन लोकसभा का सदस्य बने रहने के लिए वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए कराए गए साधारण निर्वाचन में लोकसभा के लिए निर्वाचित श्री सुग्रीव सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को श्री अभिमन्यु बेहरा, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, उड़ीसा, कुंबारपाड़ा, डाकघर फूलबनी, जिला कांधामल-762001 द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में इस आधार पर उठाया गया था कि वह तारीख 30-9-2003 को उड़ीसा के कांधामल जिले में फूलबनी अधिसूचित क्षेत्र परिषद् के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। याची ने यह दलील दी है कि उक्त पद लाभ का पद है और इस प्रकार श्री सिंह लोकसभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं। अपनी याचिका में याची के कथन के अनुसार श्री सुग्रीव सिंह ने जिस समय वर्ष 2004 में लोकसभा का साधारण निर्वाचन लड़ा था उस समय वह उक्त पद धारण किए हुए था। याचिका में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं है कि श्री सुग्रीव सिंह को वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात् किसी समय उक्त पद या किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया था।

3. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हताओं में ही उत्पन्न होती है। अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल पश्च-निर्वाचन निरर्हता के मामले में भी उत्पन्न होती है। निर्वाचन-पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंध के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि किसी अन्य रीति से। इस संबंध में **निर्वाचन आयोग** बनाम **सका वेंकटा राव** (एआईआर 1953 एससी 201); **बृंदावन नायक** बनाम **निर्वाचन आयोग** (एआईआर 1965 एससी 1892); **निर्वाचन आयोग** बनाम **एन.जी. रंगा** (एआईआर 1978 एससी 1609); आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की शृंखला का उल्लेख किया जाता है। पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है।

4. उपरोक्त निर्दिष्ट सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री सुग्रीव सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है। अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है।

5. तदनुसार वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली :
तारीख : 7 अप्रैल, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2006

S.O. 658 (E).— The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas, a petition dated the 24th March, 2006 of alleged disqualification of Shri Sugrib Singh, a sitting Member of Lok Sabha under Clause (1) of Article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Abhimanyu Behera, Ex-MLA, Phulbani, Orissa;

And, whereas, the opinion of the Election Commission has been sought by the President by a reference dated the 30th March, 2006, under Clause (2) of Article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Sugrib Singh had become subject to disqualification under sub-clause (a) of Clause (1) of Article 102 of the Constitution;

And, whereas, the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Sugrib Singh, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Clause (1) of Article 103 of the Constitution and that the present petition is, therefore, not maintainable before the President;

Now, therefore, I, A. P. J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under Clause (1) of Article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition of Shri Abhimanyu Behera, Ex-MLA, is not maintainable.

2nd May, 2006 PRESIDENT OF INDIA

[F. No. H-11026 (6)/2006 - Leg. -II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110001

Reference Case No. 27 of 2006

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

In re : Alleged disqualification of Shri Sugrib Singh, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

OPINION

This is a reference dated 30th March, 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Sugrib Singh, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 24th March, 2006, submitted by Shri Abhimanyu Behera, Ex-MLA, Orissa, Kumbharpada, P.O. Phulbani, District Kandhamal - 762001, to the President of India, under Article 103 (1) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Shri Sugrib Singh, elected to the Lok Sabha at the General Election held to the Lok Sabha in 2004, for being a member of Lok Sabha under Clause (a) of Article 102 (1) of the Constitution of India, on the ground that he was elected as the Chairperson of Phulbani Notified Area Council, in Kandhamal District of Orissa, on 30-9-2003. The petitioner has contended that the said office is an office of profit and hence Shri Singh stands disqualified for being a member of the Lok Sabha. As per the statement of the petitioner in his petition, Shri Sugrib Singh contested the General Election to the Lok Sabha in 2004 while he was holding the said office. The petition does not contain any allegation, whatsoever, that Shri Sugrib Singh was appointed to the said post or any other post at any point of time after his Election to the Lok Sabha in 2004.

3. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in disqualifications incurred after election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of **post-election** disqualification. Any question of **pre-election** disqualification, *i.e.* disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in **Election Commission *Vs.* Saka Venkata Rao** (AIR 1953 SC 201); **Brundaban Naik *Vs.* Election Commission** (AIR 1965 SC 1892); **Election Commission *Vs.* N. G. Ranga** (AIR 1978 SC 1609); *etc.* In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States.

4. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri Sugrib Singh, being a case of **pre-election** disqualification, if at all any disqualfication is attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged **pre-election** disqulification. The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

5. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(Navin B. Chawla) Election Commissioner	(B. B. Tandon) Cheif Election Commissioner	(N. Gopalaswami) Election Commissioner

New Delhi :

Dated : 7th April, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.